नार्को एनालसिसि टेस्ट

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने [नार्को टेस्ट](#) कराने की इच्छा जताई है, इस शर्त के साथ कि इसकी निगिरानी [सर्वोच्च न्यायालय](#) करेगा और पूरे देश में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

नार्को टेस्ट:

- **परिचय:**
  - नार्को एनालसिसि टेस्ट में **सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा को अभियुक्त के शरीर में इंजेक्ट** किया जाता है, यह दवा **कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोशी की अवस्था के साथ कल्पना को निष्प्रभावी कर देती** है।
    - इस सम्मोहक अवस्था में अभियुक्त को **झूठ बोलने में असमर्थ समझा जाता है और उससे आशा की जाती है कि वह सत्य जानकारी को** प्रकट करेगा।
  - भारत में [वर्ष 2002 के गुजरात दंगों](#) और [26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले](#) के मामलों में नार्को एनालसिसि टेस्ट का विशेष रूप से उपयोग किया गया था।
- **सोडियम पेंटोथल के बारे में:**
  - **सोडियम पेंटोथल या सोडियम थायोपेंटल, तीव्रता से काम करने वाला** एक **अल्पकालिक संवेदनाहारी है** जो सर्जरी के दौरान रोगियों को **बेहोश करने के लिये बड़ी मात्रा में उपयोग** किया जाता है।
  - यह **दवाओं के बार्बिट्यूरेट वर्ग** से संबंधित है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर **अवसादक** के रूप में कार्य करती है।
    - माना जाता है कि दवा **झूठ बोलने के विषय** में संकल्प को कमज़ोर करती है, **इसे कभी-कभी "ट्रुथ सीरम" के रूप में संदर्भित किया जाता है** और कहा जाता है कि [द्वितीय विश्व युद्ध](#) **के दौरान खुफिया कार्यकर्त्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया गया था।**
- **नार्को बनाम पॉलीग्राफ टेस्ट:**
  - नार्को और [पॉलीग्राफ परीक्षणों](#) को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिये, हालाँकि **एक ही ट्रुथ-डिटेक्टिंग मकसद होने के बावजूद ये अलग तरह से काम करते हैं।**
  - पॉलीग्राफ परीक्षण इस **धारणा के साथ किया जाता है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएँ वास्तविकता से भिन्न होती हैं।**
  - **पॉलीग्राफ परीक्षण** में शरीर में दवाओं को इंजेक्ट करने के बजाय, **कार्डियो-कफ या संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे उपकरणों को संदिग्ध व्यक्ति से जोड़ते हैं** और उससे पूछताछ करते समय रक्तचाप, **स्पंद दर, श्वसन, स्वेद ग्रंथि की क्रियाशीलता में परिवर्तन,** रक्त प्रवाह आदि जैसे चर को मापते हैं।

नार्को टेस्ट के कानूनी निहितार्थ:

- **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामला 2010:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **नार्को परीक्षण की वैधता और स्वीकार्यता पर निर्णय सुनाते हुए** कहा कि नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट का अनैच्छिक प्रशासन **किसी व्यक्ति की "मानसिक गोपनीयता" का उल्लंघन करता है।**
  - शीर्ष न्यायालय ने माना कि नार्को टेस्ट [संविधान के अनुच्छेद 20(3)](#) **के तहत अभियुक्त** के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि **किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिये विवश नहीं किया जाएगा।**
- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामला 1997:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि **पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का अनैच्छिक प्रशासन** [अनुच्छेद 21 या जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार](#) के संदर्भ में क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के समान होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय की अन्य टिप्पणियाँ:**
  - नार्को परीक्षण **सबूत के रूप में विश्वसनीय या निर्णायक नहीं** हैं क्योंकि ये **मान्यताओं और संभावनाओं पर आधारित** होते हैं।
  - **साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27** के अनुसार, स्वैच्छिक रूप से प्रशासित परीक्षण परिणामों की सहायता से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को स्वीकार किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिये **यदि एक अभियुक्त नार्को परीक्षण के दौरान भौतिक साक्ष्य (हत्या में प्रयुक्त हथियार आदि) के रूप में स्थान का खुलासा करता है** और पुलिस को बाद में उस स्थान पर विशिष्ट साक्ष्य का पता चलता है, तो **अभियुक्त के बयान को**

साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भौतिक साक्ष्य मान्य होगा।

- इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि **जो व्यक्ति इस तरह के परीक्षणों से गुज़रता है वह केवल सच्चाई ही प्रकट** करेगा। **निहित स्वार्थों के चलते परिणामों के मनगढ़ंत व इनमें हेर-फेर किये जाने की संभावना है।**
- नार्को टेस्ट को अधिकारों एवं परिणामों के बारे में सूचित करने बाद आरोपी की सहमति से ही कराया जा सकता है।
- न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि वर्ष 2000 में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित 'अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रशासन हेतु दिशा-निर्देश'** का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/narco-analysis-test